

अनुमति की शर्तें ।

- (i) एक मान/मूल्यांकन के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का दिवादा (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी वतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल अप्रामाण्य प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 695 दिनांक 03/09/2020

भागीया श्रीमती अका देवी जा. सी नुकेरा लुमार

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12280/- जमा

करिये रसीद संख्या 9663/3663, 3664

दिनांक 03/09/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 65 जांघी पुरा जोधपुर

3/9/2020

सहायक नगर निवाजक
नगर निगम, जोधपुर

अका

77427/2316